MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Hon'ble Minister, Shri Pralhad Joshi, to move that the Bill be passed.

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

The Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon'ble Members, now the next Bill is the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023. Hon'ble Bhupender Yadav*ji* to move a motion for consideration of the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

माननीय उपसभापति महोदय, हमारे देश में जो फॉरेस्ट विषय है, जब देश के संविधान का निर्माण हुआ तब यह राज्य सूची का विषय था। बाद में, 1980 के दशक में हम संविधान में संशोधन लेकर आए और तब फॉरेस्ट विषय को समवर्ती सूची में रखा गया। उसके बाद, 1980 का जो फॉरेस्ट कंज़र्वेशन ऐक्ट आया, उसमें जितनी भी भूमि फॉरेस्ट की डायवर्ट होती थी, उसके डायवर्ज़न को स्वीकृति देने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास आया। हमने देखा है कि विशेष रूप से जब कांग्रेस का शासनकाल रहा, वर्ष 1950 से 1980 के दशक तक देश में लगभग 45 लाख हेक्टेयर ज़मीन का डायवर्ज़न हुआ। उसके बाद 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन का डायवर्ज़न हुआ, लेकिन 12 लाख हेक्टेयर ज़मीन compensatory forestation में प्राप्त भी हुई। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि दुनिया की चलने वाली पर्यावरण वार्ताओं में भारत ने जो अपने 8 लक्ष्य दिए हैं, उनमें से 3 लक्ष्य quantitative हैं, बाकी 5 लक्ष्य qualitative हैं। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विज़न के कारण भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में और जी-20 के उन एकमात्र देशों में है, जिसने दो लक्ष्यों को समय से 9 साल पहले प्राप्त किया, जो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसमें एक renewal energy के लक्ष्य को प्राप्त करना और दूसरा carbon emission के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसलिए Glasgow के बाद जब Sharm el-Sheikh में revised NDC देने थे, तब भारत ने अपने revised NDC भी दिए। हमारा जो तीसरा लक्ष्य है, वह देश के carbon footprint को shrink करना और देश की हरित पट्टी का विस्तार करना है। इसी कारण हमारे देश में हम

किस प्रकार से green coverage को बढ़ाएं; कार्बन उत्सर्जन के लिए दुनिया इस समय जो greenery के लिए काम कर रही है, उसमें किस प्रकार से अपना योगदान दें, भारत दुनिया के सामने अपने NDC लक्ष्यों को किस प्रकार से प्राप्त करे तथा देश में tree cover बढ़ाने के लिए, green cover बढ़ाने के साथ-साथ देश के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास में किस प्रकार से संतुलन लाया जाए - इन सबके लिए Forest (Conservation) Bill में अमेंडमेंट लाए गए हैं। यहां मैं बड़े स्पष्ट रूप से सबसे पहले इस बात को कहना चाहूंगा कि Forest Conservation Act, जिसका अब हमने नाम बदल कर वन संरक्षण एवं संवर्धन विधेयक किया है, तो वन संरक्षण एवं संवर्धन विधेयक और Forest Right Act का आपस में तालमेल है। इसमें किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। इस बात की स्पष्टता रखनी चाहिए कि हमारे जनजाति समाज के जो अधिकार Forest Right Act के अंतर्गत हैं, वे सुरक्षित हैं, वे पूरी तरह से लागू किए जाएंगे। इसमें किसी प्रकार से विरोधाभास नहीं है, बल्कि उनको ताकत देने के लिए यह किया जा रहा है।

विपक्ष के लोग कई बार बहुत तरह से ट्वीट करते हैं, वे बोलते कम हैं, लेकिन ट्वीट ज्यादा करते हैं। वे अगर आकर बोलते तो ज्यादा अच्छा लगता। हम उन्हें सामने से जवाब दे देते। वे सवाल करें, उससे पहने मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जंगल के अंदर जो दूरस्थ ट्राइबल बंधु बसे हुए हैं, खासकर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा के क्षेत्र में, जो Left Wing terrorism का हिस्सा है, वहां एक सबसे बड़ा विषय है कि वहां पर विकास की बुनियादी चीज़ों के लिए परमिशन लेने में सालों-साल गुज़र जाते हैं। हमें लड़कियों का स्कूल खोलना है, पानी की टंकी पहुंचानी है, कोई प्राथमिक डिस्पेंसरी खोलनी है, कोई आईआईटी का केंद्र खोलना है, प्रधान मंत्री जी की योजना के लिए कोई विषय को आगे बढ़ाना है, उसके लिए हमें 5 हेक्टेयर की छोटी सी ज़मीन चाहिए, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। भारत सरकार ऐसा विज़नरी परिवर्तन लेकर आयी है कि ऐसे सभी इलाकों में, जहां हमारे ट्राइबल सामज और Left Wing Extremism के रहने वाले लोग हैं, उनको सुविधा के लिए अगर 5 हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत होगी, तो उनको forest clearance के लिए दिल्ली आना नहीं पड़ेगा, विकास उनके घर पर पहुंचेगा। हम यह लेकर आ रहे हैं। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ये जो छोटी-छोटी सड़क योजनाएं हैं, उनमें 0.10 हेक्टेयर के कारण पैच ही अटका रहता है। वह पैच कभी पूरा ही नहीं होता है। वह पैच अगर कभी पूरा नहीं होता है, तो उसको भी हमने इसके अंतर्गत सरल बना कर देश के लोक कल्याण मार्ग को देश के गरीब की झोपड़ी से जोड़ने वाले मार्ग से जोड़ने का काम इस बिल के अंतर्गत किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि विकास की धारा केवल यह जो पांच हेक्टेयर में सरकारी सुविधाएं हैं, उसके लिए दी है, उसके अलावा किसी प्रकार का कोई कमर्शियल डायवर्ज़न नहीं किया है। इस स्पष्टता को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरा विषय देश की सुरक्षा का विषय है। हमने देखा है कि आज भारत सरकार के डीआरडीओ ने लेह-लद्दाख में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोटर एरिया रोड बनाया है। वहां सुरक्षा के कारणों से जो सड़क ले जानी है और जो सुरक्षा के कारणों से दस हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है, उसमें किसी प्रकार के क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डायवर्ज़न के बाकी विषय रहेंगे। एक और बड़ा विषय जो हमारे देश के अंतर्गत है, वह यह है कि हम हजारों करोड़ रुपये की लकड़ी बाहर से आयात करते हैं। हमारे देश की जमीन में इतनी ताकत है कि हम agro-forestry में अपने विषयों को आगे

बढ़ा सकते हैं। कल इस सदन ने Biological Diversity Act को पारित किया। उस एक्ट में हमने medicinal plants की बात की। अब हमारे पूरे पूर्वोत्तर भारत में अगर का वृक्ष होता है, जिसको आप काट नहीं सकते हैं। अगर आप घर में सागवान को लगाते हैं, तो आप उसको काट नहीं सकते हैं। Agro-forestry के अंतर्गत जो लकड़ियां हैं, वे हमारे tribals भी अपने घर के अंदर बो सकते हैं और agro-forestry को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, उसके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए इस बिल में प्रावधान लाया गया है। जब हम गरीबों की बात करते हैं, tribals की बात करते है, पर्यावरण की बात करते हैं, तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। मैं चाहता हूं कि यहां पर आकर यह विषय रखा जाता, तो और अच्छे तरीके से मैं इसका जवाब देता। मैंने प्रारंभ में ये स्पष्टताएं की हैं, ताकि बिल की अवधारणा को लेकर सबसे पहले स्पष्टता हो। बिल को जिस अवधारणा के साथ रखा गया है, यह देश के forest संरक्षण को मजबूत करने के लिए, भारत के NDC के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, LWE area और भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सुविधाएं पहुंचाने के लिए, agro-forestry को बढ़ावा देने के लिए और सबसे बड़ी बात अमृत काल के आत्मनिर्भर भारत में हर गांव, गरीब के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हम यह बिल लेकर आए हैं। मैं इस बिल को आपके सामने, सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि एक सार्थक चर्चा के बाद यह बिल पारित किया जाएगा।

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I now call upon the Hon'ble Members whose names have received for participation in the discussion. Dr. Prashanta Nanda please.

डा. प्रशांत नन्दा (ओडिशा) : उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस समय बहुत सारे धर्म हैं और सबका ईश्वर अलग-अलग है। यह बात सच है कि कुछ ऐसे ईश्वर हैं, जिनको हम अनुभव कर सकते हैं, जिनको सभी धर्म मानते हैं, जैसे सूर्य देव हैं, अग्नि देव हैं, जल देवता हैं और वृक्ष देवता हैं।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी)** *पीठासीन हुए।*]

जो वृक्ष देवता हैं, उनके समाहार में जहां इतने ईश्वर रहते हैं, उनको हम जंगल कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। आज मंत्री जी फॉरेस्ट के बारे में जब अमेंडमेंट लेकर आए हैं, तो विश्व में सबका ध्यान इस पर रहता होगा कि इसमें क्या है। हम ईश्वर के साथ क्या अन्याय करना चाहते हैं? पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हम भारतवासी हैं, हम भारत की सुरक्षा के ऊपर कभी समझौता नहीं करते। जब भी भारत की सुरक्षा की बात आती है, तो हम आंख मूंदकर बोल देते हैं कि भारत की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं होना चाहिए। अभी मंत्री जी ने कहा कि इस अमेंडमेंट में ऐसी बात है, कौन-सी बात है कि हमारे देश के जो बॉर्डर एरिया हैं और बॉर्डर एरिया के उस पार के जो

हमारे शत्रु देश हैं या कोई अलग देश है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, पर हम नहीं कर पाए? लेकिन हम नहीं कर पाए, क्योंकि फॉरेस्ट कंज़र्वेशन ने हमें रोक दिया है। इसको फास्ट ट्रैक में लाने के लिए इसमें अमेंडमेंट लाए गए हैं। जो-जो अमेंडमेंट्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और जहां हमें समझ में नहीं आएगा, तो हम माननीय मंत्री जी से समझने की कोशिश करेंगे। एक बात सच है कि अगर मैं आज इस बिल के बारे में, इस बिल के सापेक्ष में, इसका समर्थन करने में खड़ा हुआ हूं, उसका पहला रीज़न मेरे देश की सुरक्षा है।

अब हम टाइटल पर आते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कह दिया है कि 2070 में नेट जीरो - यानी इंडिया का कार्बन एमिशन जीरो हो जाएगा। उसकी कहीं से भी शुरुआत हो, लेकिन शुरुआत करनी चाहिए और वह हो भी रही है। खनिज मंत्री आए थे, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने कैसे शुरू किया है। जो सबसे अहम एरिया है, वह हमारा फॉरेस्ट एरिया है और यदि हम फॉरेस्ट को बढ़ाएंगे, तभी हम वह अचीव कर पाएंगे। 2030 तक दिखेगा कि जो हमने कहा था, हम उसकी तरफ चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए शायद इन्होंने इसका नाम वन संरक्षण के साथ वन संवर्धन दिया है। यह भी बहुत अच्छा लगा और यह भी स्वीकार है। मैं एक चीज़ आपके जरिए मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैंने जितनी भी अमेंडमेंट्स पढ़ी हैं, मेरा जितना ज्ञान है, उस ज्ञान में मुझे संवर्धन कहीं दिखाई नहीं दिया और जो दिखाई दिया वह exemption दिखाई दिया। अगर exemption ही करते जाएंगे, तो फिर संवर्धन कहां होगा, यह मेरी समझ में नहीं आया। मुझे मालूम है कि यादव जी हमारे ऐसे मंत्री हैं, जो हमें इसके बारे में ठीक तरीके से समझा भी देंगे।

दूसरी बात यह है कि अमेंडमेंट के बारे में पूरी चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा स्वार्थी होकर यह बता हूं कि हमारे ओडिशा के लिए यह कितना सिग्निफिकेंट है। मेरे ओडिशा के लिए यह है कि Odisha is home to third largest tribal population of India, but it is the most diverse indigenous communities found in the country. The State has 62 tribes, including 13, particularly vulnerable tribal groups. In 2023, Odisha became the first State in the country to allocate an exclusive Budget for the implementation of the Forest Rights Act by setting aside Rs. 2,600 lakh in 2023-24 Budget. As a State that has always looked after the needs of the tribal population, the recently introduced amendments pose a problem in furthering our agenda of tribal welfare. According to the latest Forest Survey of India Report, Odisha has contributed 1.04 per cent increase in the forest cover nationally. Moreover, Odisha stands at the third position in the country when it comes to contribution in the increase of forest cover in the country. This increase is attributed to better conservation measure, protection, afforestation activities and bottom-up approach to governance. We need to ensure that the new Amendment does not dilute this spirit of conservation. This is my request to the Hon'ble Minister. Sir, while going into the details, I would like to talk about the deemed forest. I would like to know about the deemed forest. Whatever questions I am asking, through you, Sir, I am telling the Hon'ble Minister that I am not objecting. I want to know from him about it. These are my queries which maybe looked into.

The deemed forest category has been removed from the definition of forest. मुझे नहीं लगता है कि यह ठीक है because lots of good forest areas which are neither notified nor forest in Government records are now going to be diverted and destroyed. So, 'deemed forest' has to be incorporated and defined in terms of area – minimum 2 hectare and density of trees at 4 per cent. And, this category has to be included under the definition of 'forest' in accordance with the judgment of the Supreme Court in Writ Petition No. 202/1995.

Sir, there are many things I would like to know from the Hon'ble Minister. The new changes omit the category of 'lands' that are neither notified nor recorded as forest in any Government records, but qualify the characteristics of a natural forest, including those proposed to be notified as forest. The new changes also exclude those forest lands that are proposed to be declared 'forest', but yet to be notified under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927, or other State laws.

It is in contravention to Godavarman Thirumpulpad judgment of the Supreme Court. While clarifying the scope of the 1980 Act, the Supreme Court, in Godavarman Thirumulpad case, held that the Act intends to check deforestation that disrupts the ecological balance. Therefore, the Act must apply to all forests. इतना तो मैंने कह दिया। परन्तु सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर पूरी डिटेल में डिस्कशन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है और हाउस के पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि एक बिल और आना है। सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। I will be talking about compensatory afforestation.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त करिए।

डा. प्रशांत नन्दा : क्या होता है, हम एक फॉरेस्ट ले लेते हैं और कहते हैं कि हम उसको दूसरी जगह पर afforestation बना देंगे। आप मुझे बताइये कि कितना afforestation किया है और उसकी कंडिशन क्या है? Do they look like forest? सर, जो फॉरेस्ट हमें पीने के लिए पानी देता था, जो फॉरेस्ट हमें जीने के लिए सांस देता था, अभी वही फॉरेस्ट afforestation में, जितने पेड़ हैं, वे सभी सुबह उठकर फॉरेस्ट होम गार्ड को बुलाते हैं कि होम गार्ड भाई, जरा इधर आओ, थोड़ा पानी तो पिलाओ, हम मरने लगे हैं! लेकिन यह हालत तो इसी डिपार्टमेंट ने की है! अगर आग देखेंगे, एक मियावाकी फॉरेस्ट है, जिसको आपकी गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने केरल में सैम्पल के तौर पर किया था and it is absolutely perfect.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आप अपनी बात समाप्त करिए।

DR. PRASHANTA NANDA: Sir, I would request you for giving me some more time.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आप जल्दी समाप्त करिए।

DR. PRASHANTA NANDA: You can adjust time with BJP and they will agree to it. सर, इतना तो कर लीजिए। बहुत थोड़ी बात है, ज्यादा बात नहीं है, लेकिन बहुत अहम बात है। मैं इसके साथ दो सवाल पूछना चाहता हूं। सर, मैं केवल दो ही सवाल पूछना चाहता हूं, फिर उसके बाद समाप्त कर दूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : जी, पूछिए।

डा. प्रशांत नन्दा : सर, पहला सवाल यह है, what is the cost of a hundred year old tree? क्या केवल उसका टिम्बर और कुछ नहीं! पहले तो इतना ही बनता है, उसका टिम्बर ही बनता है लेकिन 100 साल से जितनी ऑक्सीजन दी, जितना पानी दिया तथा समाज को जो कुछ भी दिया, जो पक्षियों को सहारा दिया, उस सबकी एक वैल्यू तो लगनी चाहिए। अगर उसको आप डिफाइन कर दें कि नहीं, एक पेड़ की कीमत इतनी होनी चाहिए, तो देख लीजिए कोई भी प्राइवेट वाला नहीं आयेगा और इसको नहीं लेगा, क्योंकि यह इतना भारी पड़ जायेगा कि उनकी स्कीम नहीं चलेगी। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए।

दूसरा, जो आपके अमेंडमेंट के साथ नहीं है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, हम इसको ईश्वर बोलते हैं और फॉरेस्ट वाले उसको बोलते हैं - यह है जीवन। उसकी भी लाइफ है, फॉरेस्ट भी एक जीवन है। जितने भी जीवन हैं, हम सबके राइट्स हैं। We have rights under Articles 13 to 32 of the Constitution. एनिमल्स के लिए यह एसपीसीए है। आप मुझे बताइए, what is the right for a plant Sir?

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : डा. प्रशांत नन्दा, आपका धन्यवाद। कृपया समाप्त कीजिए।

डा. प्रशांत नन्दा : थैंक यू सर। आप मुझे धन्यवाद बोलते हैं और मैं आपसे भी गुज़ारिश करता हूं कि मैं अभी एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे मालूम है और मैंने उनसे दरख़्वास्त की है कि मुझे थोड़ा समय देंगे और उन्होंने हाँ भी की है, इसलिए आप भी थोड़ा मान जाइए।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आपको ज्यादा समय दिया है, कृपया समाप्त कीजिए।

डा. प्रशांत नन्दा : मुझे यह पूछना था कि उनके राइट्स क्या हैं? मंत्री जी, इतना तो बता दीजिए, हम सभी खुश हो जाएंगे। पूरे भारतवर्ष में जितने जंगल हैं, वे जंगल आपको आशीर्वाद देंगे। वे बोलेंगे कि चलो, यह शुरुआत पहली बार हुई है कि हमारे राइट्स के बारे में किसी ने बोला है और कोई मंत्री था, जिसने हमें राइट्स दे दिये। महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): डा. प्रशांत नन्दा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री सुशील कुमार मोदी, कृपया आप बोलिए।

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं 'वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023' पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय मंत्री महोदय ने सभी मुख्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर दी है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बिल की जो सबसे बड़ी खासियत है, वह यह है कि इसका नाम परिवर्तित किया गया है। यह 'फोरेस्ट कंज़र्वेशन एक्ट' था, लेकिन वास्तव में प्रचार हो गया था - फोरेस्ट क्लियरेंस एक्ट। इस कानून का एक ही उद्देश्य रह गया था कि यह फोरेस्ट को संरक्षण नहीं, बल्कि फोरेस्ट का क्लियरेंस करने की अनुमति प्रदान करने वाला एक्ट बनकर रह गया था। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और भूपेन्द्र यादव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसके नाम में परिवर्तन कर, वन संरक्षण एवं संवर्द्धन से इसका नामकरण किया गया है। यह कोई नामकरण नहीं है - कुछ लोग आपत्ति करते हैं कि यह हिंदी का नाम क्यों है? मैं समझता हूं कि संरक्षण और संवर्द्धन शब्द भारत की पंद्रह, बीस भाषाओं के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसमें जो एक सबसे बड़ी बात है, वह यह बात है और दूसरी बड़ी बात यह है कि लोगों के मन में जो भय था कि अगर मैं प्राइवेट प्लांटेशन करता हूं, ट्री प्लांटेशन करता हूं, तो ऐसा न हो कि मैं कल कानून के दायरे में आ जाऊं कि यह भी वन भूमि है। इसलिए वन भूमि किसको कहा जाएगा - इस बात को इस एक्ट में और स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। जब 'फोरेस्ट कंज़र्वेशन एक्ट' आया था, तो उस समय जो फोरेस्ट एरिया था, जो वन विभाग के अंतर्गत रिकॉर्ड में वन था, वही उसकी परिभाषा में आता था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है - क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत वन थे, लेकिन उन पर यह फोरेस्ट कंज़र्वेशन एक्ट लागू नहीं होता था, परंतु सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड में या सरकार के किसी भी रिकॉर्ड में अगर किसी भूमि को फोरेस्ट दिखाया गया है, तो वह सारी की सारी जमीन इस एफ.सी.एक्ट के अंतर्गत मानी गई है। इस परिभाषा में जो ambiguity थी, उसको भी स्पष्ट किया गया है।

महोदय, इसके साथ ही साथ इसमें प्रिएम्बल को जोड़ा गया है। समय कम है, इसलिए मैं उसको नहीं दोहराऊंगा, जिसका अभी माननीय भूपेन्द्र यादव जी ने जिक्र किया है। महोदय, हमारा टारगेट है कि पूरे देश के अंदर जो भूमि है, उसका एक तिहाई फोरेस्ट ट्री कवर में परिवर्तित किया जा सके। सर, एनडीसी का जो कार्बन न्युट्रेलिटी का टारगेट था, उन सारी चीज़ों को इसके प्रिएम्बल में डाला गया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि प्रिएम्बल के अंदर हमारा लक्ष्य क्या है - उसको इसके अंदर शामिल किया गया है।

महोदय, इसके साथ ही साथ किन चीज़ों को फोरेस्ट्री के अंतर्गत माना जाएगा - जिसको अभी तक नोन फोरेस्ट्री माना जाता था, अभी ज़ू, सफ़ारी, ईको टूरिज़्म आदि जो गतिविधियाँ हैं, जैसे सफारी है, कोई ज़ू खोलना है, ईकोटूरिज़्म है, इनको नोन फोरेस्ट्री एक्टिविटीज़ में माना जाता था, लेकिन अगर सरकार ईकोटूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए कोई कार्यवाही करती है, कोई ज़ू बनाती है, कोई सफ़ारी बनाती है, तो वैसी स्थिति में इस बिल के द्वारा उनको यह

अधिकार दिया गया है। वह जो प्लान बनता है, अगर फोरेस्ट प्लान और बाकी प्लान उसका हिस्सा है, तो यह नोन फोरेस्ट्री नहीं माना जाएगा, बल्कि इसको फोरेस्ट्री एक्टिविटी माना जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर वन क्षेत्र में कोई सर्वे करना है, अगर माइन्स, मिनरल्स मिलने की संभावना से कोई सिस्मिक सर्वे करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, एक्सप्लोरेशन करना है, तो इसमें इसकी भी अनुमति मिलेगी क्योंकि सिर्फ फोरेस्ट का और कोई स्वरूप बदलता नहीं है। इसके अंदर इसका भी प्रावधान किया गया है।

4.00 **P.M.**

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ अभी माननीय मंत्री महोदय ने ज़िक्र किया कि स्ट्रेटजी की दृष्टि से, यानी जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पर strategic linear project of national importance and concerning national security, हमारा जो एलएसी और एलओसी है, यानी Line of Actual Control or Line of Control, उसकी 100 किलोमीटर की सीमा में अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, जिसको भारत सरकार घोषित कर दे कि यह नेशनल इम्पॉर्टेंस का है, concerning national security, तो वैसी स्थिति में 100 किलोमीटर के दायरे में और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 10 हेक्टेयर तक जमीन बिना किसी अनुमति के, एफसी की जो पूरी प्रक्रिया है, बिना उसमें गए भी ली जा सकती है। इसमें मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारत सरकार की जो गाइडलाइंस होंगी, उन्हीं के तहत इस 100 किलोमीटर के भीतर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा या उपयोग किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कह दिया जाएगा कि यह स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंस का है। इसके साथ ही साथ, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म अफेक्टेड इलाका है, जो वामपंथी उग्रवाद से जुड़ा इलाका है, अगर वहाँ पर कोई पैरामिलिटरी कैंप खोलना है, डिफेंस से रिलेटेड कोई काम करना है और कुछ गतिविधियाँ करनी हैं, तो उनके लिए भी इसके अंदर 5 हेक्टेयर तक की जमीन के लिए प्रावधान किया गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी तक अगर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के पीएसयूज़ को जमीन लेनी होती थी, तो उनको अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अगर किसी प्राइवेट एन्टिटी को लीज़ पर जमीन दी जा रही है, तभी उनके लिए अनुमति की आवश्यकता थी। पहले पीएसयूज़ क्या करते थे कि उन्होंने जमीन लीज़ पर ले ली और बीसों साल तक जमीन खाली पड़ी रहती थी। अब यह प्रावधान कर दिया गया है कि जो पीएसयूज़ होंगे, उन पीएसयूज़ को भी सरकार की अनुमति लेने के बाद ही जमीन मिलेगी और वे उस जमीन का इस्तेमाल कर पाएँगे। अभी माननीय भूपेन्द्र जी ने बताया कि जैसे रेलवे लाइन है, कोई सड़क है, इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रोजेक्ट है और वहाँ बगल में कोई वन भूमि है, तो 0.10 हेक्टेयर तक जमीन ली जा सकेगी, ताकि हैबिटेशन के साथ उस जमीन का इस्तेमाल कनेक्टिविटी के लिए किया जा सके।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार में करीब 7-8 साल तक इस विभाग का मंत्री रहा हूँ। मैं इस बात से दुखी रहता था कि एफसी एक्ट में क्लियरेंस के लिए 2-2 साल, 3-3 साल लगते थे। मैं भूपेन्द्र जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अब 180 दिन के अंदर फॉरेस्ट

क्लियरेंस हो रही है। लेकिन अभी भी कुछ क्लियरेंस के लिए यह राँची जाएगा। जब एक बार उसका नेट वैल्यू वगैरह डिटरमाइन हो गया, सारी चीजें हो गईं, तो पहले की तुलना में काफी स्टेप्स कम किए गए हैं। मैं चाहूँगा कि इसका और सरलीकरण किया जाए, ताकि अभी जो 180 दिन लग रहे हैं, इसमें और कम समय के अंदर इसको पूरा किया जा सके।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ, इसमें एक प्रीएम्बल जोड़ा गया है - 'net zero emissions by 2070'. अभी माननीय नन्दा साहब कह रहे थे कि इसमें संवर्धन की तो बात ही नहीं है, इसमें केवल संरक्षण की बात है, तो ऐसा नहीं है। इसके बारे में भूपेन्द्र जी विस्तार से बताएँगे कि हमने इसमें 2030 तक 2.5-3 बिलियन टन कार्बन इक्विवेलेंट का कार्बन सिंक बनाने का टारगेट रखा है। पूरे देश के अंदर जो भूमि है, उसकी वन-थर्ड भूमि ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर के रूप में रहेगी और इसके अंदर इसका इस्तेमाल करने का भी प्रावधान किया गया है। 2070 तक जो नेट ज़ीरो एमिशन है, उस एमिशन के टारगेट को प्राप्त करने के लिए इसके अंदर प्रावधान किया गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहूँगा कि पूरी दुनिया में एक द्वंद्व चल रहा है - विकास बनाम पर्यावरण। पर्यावरण का संरक्षण या वनों का संरक्षण और विकास, इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं होगा, चूँकि जंगल है। इसलिए इन दोनों के बीच में संतुलन कायम करना, यह इस बिल का उद्देश्य है। हमें विकास भी चाहिए, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर विकास नहीं चाहिए। हम पर्यावरण का संरक्षण भी चाहते हैं, वनों का संरक्षण भी चाहते हैं और विकास भी चाहते हैं। इसलिए इसमें जो अनेक एग्ज़म्प्शंस दी गई हैं, इसी बात को ध्यान में रख कर दी गई हैं कि दुनिया की दौड़ में हमको आगे बढ़ना है, चीन का मुकाबला करना है, पाकिस्तान का मुकाबला करना है। ठीक बॉर्डर के एरिया में उन्होंने बहुत सारा strategic construction कर लिया है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। इसमें एक बात और भी है कि राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में किसी प्रकार का हनन नहीं किया गया है। मैं फिर से एक बार अपनी ओर से माननीय भूपेन्द्र यादव जी को और देश के प्रधान मंत्री जी को, इस ऐतिहासिक बिल को लाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : मैं भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी बात समाप्त की। माननीय श्री एस. निरंजन रेड्डी।

SHRI S NIRANJAN REDDY (Andhra Pradesh): Sir, as I speak, I must confess that I am facing a dilemma. There is a conflict between my mind, which is fully satisfied with the reasons given for the purpose of making changes to the law....

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आप अपने स्थान पर जाकर ही बोलेंगे तो ठीक रहेगा।

SHRI S NIRANJAN REDDY: Sir, as I said, I am facing a dilemma when I speak on this subject because there is a conflict between my mind, which is fully satisfied that

enough reasons have been made out by the Government for bringing these changes, because these are needed in the national interest, in the interest of national security, as also for the development of the country, but there is a lurking fear in my heart as to whether this would open some sort of a floodgate for certain forest areas, which need to be protected, to be released.

Sir, when I speak, it is not about the immediate Government or the very efficient Minister we have, because once the law is made, it would be a law that would be operating for several years to come. I find that in this Bill, while granting relaxation, a lot of provisions have been made, that the Central Government would either make guidelines or issue directions with regard to proper implementation of these provisions. Sir, if I may use a metaphor, a good law is like a reservoir, which is built strongly to contain the mischief. But a rigid reservoir, which does not allow floodwaters to go or allow discharge of water for good public causes, is not a reservoir that serves public purpose. It needs sluice gates, but the sluice gates must also have strong gates which would be stopped when the water is not required to be discharged. So, the Act was very rigid. It became a little more rigid with the Supreme Court judgement, which defined 'forests' to include 'deemed forests'. I think these amendments will go a long way in alleviating certain hardships faced by people. It would also help the nation progress and it would also help the security establishment. While that is something that is laudable, the request I have for the Government would be that when it is now making guidelines, and it would be providing for issuing directions, these guidelines and restrictions must be placed in the strongest possible manner so that only such of the forest land which is required to be released from this particular purpose would then be permitted to go outside the fold of the definition of 'forest land'. I have no doubt that it would be done, but this is just a concern because when I heard the Hon'ble Member, Dr. Prashanta Nanda, speak before me, where he expressed that the Act must also make a provision for preservation, I wanted to just state that there are these provisions which seem to provide for the Government to ensure proper preservation, but those would have to come outside the Act now. So, the Act is just the starting point. It serves public purpose, but I think the Central Government may have to make guidelines and issue directions. I would request the Hon'ble Minister to ensure that the forests' interest and the public interests are best protected by making absolutely tight guidelines which will not be violated at any point of time in future.

Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Shri K.R. Suresh Reddy; not present. Shri Kamakhya Prasad Tasa.

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (असम) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। ऑनरेबल मिनिस्टर भूपेन्द्र यादव जी ने पूरी स्पष्टता के साथ इस बिल के बारे में बोला। अभी सुशील मोदी जी ने और हमारे प्रशांत नन्दा जी ने भी इस बिल पर बोला।

वाइस चेयरमैन सर, भूपेन्द्र जी के बोलने के बाद, इस बिल पर चर्चा हो रही है, चर्चा होने के बाद यह बिल पास होगा। मैं 'The Forest Conservation (Amendment) Bill, 2023' के समर्थन में खड़ा हूँ और चाहता हूँ कि भूपेन्द्र जी के नेतृत्व में यह डिपार्टमेंट फ्यूचर में इसको अच्छे से निभाएगा। मैं भूपेन्द्र जी का काम गौर से देख रहा हूँ। इससे एक यह बात सामने आ रही है कि इनके नेतृत्व में जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है, वह पूरे forest and environment को बचाने के लिए काम कर रहा है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का carbon emission को net zero करने का जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। यह लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ दिन पहले जब भूपेन्द्र जी एलीफैंट फेस्टिवल में काज़ीरंगा गये थे, तब उन्होंने फॉरेस्ट्स के संरक्षण के प्रति जो sensitivity दिखाई, यह बिल उसका एक परिणाम है। वनों का संरक्षण, संवर्धन जैसा विषय आपने उठाया, इसमें डेफिनेटली हम लोग खुशी चाहते थे। ऑनरेबल मिनिस्टर भूपेन्द्र जी, मुझे आपको एक बात कहनी है। जैसे विकास की दृष्टि से आपने इसको थोड़ा ईज़ी भी किया है और इसका संरक्षण करने की व्यवस्था भी की है, लेकिन आप देखें, मैं पूरी दुनिया में एक चीज देख रहा हूँ, असम में भी मुझे देखने को मिला है, वह मुझे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी कांग्रेस के टाइम में असम में जितना encroachment था, maximum encroachment था, अभी eviction भी हो रहा है। Total encroachment 3620.7 sq. km. था और इसका forest area 20.19 sq. km. encroached था, इसको अभी हमारी असम गवर्नमेंट ने क्लियर भी कराया है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने उसको पूरा strongly handle किया है। लामडिंग में 14.50 sq. km., पोबा में 17.50 sq. km., बुढ़ा चापोरी में 20.99 sq. km. - ऐसे करके कम से कम 60.67 sq. km. को क्लियर कराया है। देखा जाता है कि जो forest area है, इसको टारगेट करके चलते हैं। विकास का यह मतलब नहीं है कि आप forest को ही टारगेट करके चलें और forest land को ही कोई grab करने की व्यवस्था करे। ऑनरेबल मिनिस्टर सर, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सम्मेलन definitely करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि forest Department का एक स्ट्राँग सम्मेलन करना चाहिए, जिसमें DFO और General Administration शामिल हों। उसको forest land में टारगेट नहीं करके चलना अच्छा है। आज मैं यह देख रहा हूँ कि कोई five star hotel बनाने के लिए forest land ही माँगता है, कोई काज़ीरंगा के आस-पास का लैंड माँगता है। ऐसा नहीं करने से वहाँ के जो आदिवासी हैं, जो forest के ऊपर dependant आदमी हैं, उनको थोड़ा संरक्षण मिलेगा। आपने जो बॉर्डर एरिया की बात कही है, मैं नॉर्थ-ईस्ट में भी देख रहा हूँ कि Assam inter-State border पर भी प्रॉब्लम है और international border पर भी प्रॉब्लम है। ऑनरेबल मिनिस्टर सर, जो वन का पेड़ है, उसको काटने के लिए वन माफिया पूरे पैमाने पर लगा हुआ है।

हमारी गवर्नमेंट के आने से पहले सबसे ज्यादा वन खत्म हुआ है, चाहे नागालैंड में हो या अरुणाचल में हो, बड़े-बड़े जो पेड़ हैं, उनको काट कर खत्म किया है। लेकिन हमारे मोदी जी की गवर्नमेंट के आने के बाद इसको थोड़ा टाइट किया गया है, क्योंकि net zero emission, 2020 की जो बात हुई है, NDC का target fulfil करने की जो बात कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट ने थोड़ा ध्यान दिया है।

इसी तरह जो global warming है, लैंड कटाव है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है, बल्कि deforestation ही है। आप जानते हैं, सभी ऑनरेबल मेंबर्स जानते हैं कि इसका दूसरा कोई कारण नहीं है, only deforestation बहुत ज्यादा है। मेरा यह मानना है कि मैं जितने एरिया में forest की जगह में गया, वहाँ पर देखा कि forest से ज्यादा deforest area है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगाई है, इसीलिए जहाँ पहले forest था, उस जगह पर अब गाँव बस गया। वहाँ पर क्या होगा, उसको भी थोड़ा clear करना अच्छा है। उस area में अगर घर जलता है, तो वहाँ पर हमारे Disaster Management Department से कुछ पैसा देना होता है, लेकिन वे उसे दे नहीं पाते। वहाँ ज्यादातर गाँव हैं। जहाँ पहले forest था, उस forest की जगह पर अब गाँव बन गया, शहर बन गया, चाय बागान बन गया। ऐसा बहुत सी जगहों पर हुआ है। मैं इंडिया में भी वह देख रहा हूँ। उस deforest area में क्या होगा, उसको थोड़ा स्पष्ट करने से अच्छा रहेगा। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए इस 'वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023' का समर्थन करता हूँ और आशा रखता हूँ कि आपने इसमें मैक्सिमम को कवर किया होगा। जो पार्टीज़ हमारे विरोध में हैं, वे अभी तो नहीं हैं, लेकिन वे इसे लेकर बाहर प्रचार कर रहे हैं। सुशील मोदी जी ठीक बोल रहे हैं कि फोरेस्ट को खत्म करने की बात हो रही है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। अगर Assam and North-East में कभी फोरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है, तो कॉंग्रेस के दिनों में हुआ है। 90 परसेंट एरिया को बंग्लादेशी शरणार्थियों ने encroach किया हुआ था। यह बात अलग है कि अभी उन्हें भगाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने ही ज्यादातर भाग को encroach करके रखा था। अभी वे Poba, Majuli area जैसे एरियाज़ में घुसे हुए हैं। इसके साथ ही, जो बहुत दूर-दराज का फोरेस्ट एरिया है, उसमें ये लोग बसे हुए हैं। गर्वनमेंट तो कम लैंड ले रही है, लेकिन जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसे थोड़ा बचाइए और आप इसे बचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI HISHEY LACHUNGPA (Sikkim): Sir, while supporting the Forest Conservation (Amendment) Bill, 2023, I would like to request the Hon'ble Minister to consider the following issues concerning the State of Sikkim.

Sikkim was originally the kingdom of agrarian society which depended heavily on cattle livestock which is the primary pillar behind Sikkim being an organic State. It became the 22nd State of India on 16th May, 1975. However, in 1978, an abrupt Reserve Forest Land Survey was carried out and before a proper and in-depth survey could be accomplished, the Forest Conservation Act was enacted in 1980 by the Indian Parliament and implemented in Sikkim. Section 2, sub-section (i) of the

Forest Conservation Act gives enormous power to the Union Government to designate an area as 'reserve forest'. The unclassified non-forest public utility lands like Gaucharan, khasmal and river courses, etc., which were to be kept outside its purview, were incorporated in the Forest Conservation Act of 1980. Such public utility lands have existed since time immemorial and been way of life, culture and customary identity of Sikkimese tribal population. The very tribal population inhabiting sensitive border-States are living proof of Indian territory and thereby act as second line of Indian defence. Restrictions will gravely impact sustainability and continuity of border civilian population.

The new Amendment should be inclusive of providing forest rights of this Sikkimese tribal population, which, in no way, will cause deforestation, will maintain ecological balance and strengthen our border civilian population. Also, whilst establishing Defence infrastructure along border areas, notified and other sacred lakes and pilgrimage sites should be avoided. Apprehensions are arising that bio-diversity may be affected in pursuit of the new Forest Conservation (Amendment) Act. Bio-diversity and natural reserves should be safeguarded and protected.

I, therefore, request the Hon'ble Minister to de-reserve the above category of unclassified lands, which is meant for public utility purposes, from the purview of the Forest Conservation Act, 1980, and transfer it to the State List. An assurance in this regard may kindly be given in letter and spirit. With these few words, I support the Bill once again.

Thank you, Jai Sikkim, Jai Hind!

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, my colleague has already stated that we are supporting the Bill and we will support the Bill on behalf of my Party, and, our leader, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy. There are two points which I would like to bring to your notice. The first point is that the subject of 'Forests' is in the Concurrent List. Originally it was in the State List. Subsequently, when Congress Party ruled for decades continuously from 1950s to 1960s, they transferred 'Forests' from the State List to the Concurrent List.

Now the Hon'ble Minister of Forest is making the laws. Now it is in the Concurrent List. Both the State Government and the Union Government have got the power to legislate on the issues of forests. I draw your kind attention and also the attention of the Hon'ble Minister to one of the provisions. It is Clause 6. It says, 'In the principal Act, after section 3B, the following section shall be inserted.' According to me, this requires approval from all the State Governments. The assignment of

forest land for the forest use or other purposes can be decided upon by the Central Government and not the State Government independently. I presume this is the meaning of that particular Clause. The Minister of Forest may clarify this.

I urge the Minister and the Ministry to reconsider it as I believe the State Government should have an equal say as the matters relate to the forest land because it is a subject in the Concurrent List.

My last point is on adopting participatory forest management strategies. To conserve forests effectively, forest communities, those who live in the forests and those who depend on the forests, need to be made equal shareholders in the conservation process. The combined effort of the community and the Government is the only solution to ensure sustainability. And, in this regard, we should draw inspiration from the participatory forest management model which is being followed in Andhra Pradesh. The participatory forest management regime in Andhra Pradesh is implemented through the tenets of Joint Forest Management (JFM) and Community Forest Management (CFM). According to me, this is the best in the country. *Van Sanrakshan Samitis* comprising of local communities as custodians of the forests have been set up across the State. This has resulted in regeneration of forests. In fact, originally, in Andhra Pradesh, the forest cover was less. Now it has tremendously improved. It improved the economic health of the local people, the *adivasis*. It reduced forest clearing for agriculture and illicit timber felling. It improved safety of the forest staff. I request the Hon'ble Minister to kindly consider this. The States should also be consulted while making legislation and implement both the participatory forest management regime, which is being implemented in Andhra Pradesh, and also Community Forest Management. With this, I support the Bill. Thank you very much, Sir.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Sir, I thank you for giving me the opportunity to participate in the debate on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 brought by Yadav *ji*. On behalf of the AIADMK Party, I support the Bill.

As Mr. Vijayasai Reddy said, this subject is now in the Concurrent List. It was earlier in the State List. This happened slowly. This is our concern. I belong to the AIADMK Party. We are for some kind of autonomy or some federal structure. We are in principle for that. Education also came from State List to Concurrent List. 'Forests' was also like that. This happened during the Emergency period when Mrs. Indira Gandhi was the Prime Minister. She took away most of the State powers and brought them under the control of the Central Government in the Concurrent List. In

1976, during the emergency period, they usurped most of the subjects. They have taken. Then, the State Governments became like municipalities. They, more or less, have no power. Now, our Hon'ble Prime Minister is for federal structure. He is encouraging and appreciating all the cultures, languages and everything. Because he served as a Chief Minister in Gujarat, he knows the problems of States. Therefore, he understands that and he is functioning in such a way. In this, our Hon'ble Minister, Yadavji has brought forward this Bill with good intentions. I appreciate that. The Supreme Court judgment also gave some directions in December, 1996. That also made him to bring in certain things.

Sir, we have problems in Tamil Nadu. For example, forest population. Forest population does not mean only human beings; even animals also. In most of the places now, elephant is the forest population. It is ever-increasing. It is not living in forest now. It is coming to the mainland. They are also claiming that it is part of their land and they have every right to come to fields. In Tamil Nadu, they are coming, along with kids, like 20-30 elephants, leaving the forest and coming out. They destroy the whole cultivation and everything of farmers. Any human in their way is killed. We are concerned about protecting elephants but we are not concerned about protecting the human beings. That is the fate now. We have to preserve the animals. That is our policy. The forest must have such kind of atmosphere that they must live there and must not come to our places. In the same way, we say that humans must not go and encroach their places. ...(*Interruptions*)... Yadavji, animals have their own rights in the forests. We have to develop forests in such a manner that those animals dwell there. As we cannot encroach their area, they cannot encroach our area. That is what we are facing now. Many human beings are killed. Recently, you must have seen that in Tamil Nadu. They also come on railway track. Trains are there and animals are dying there. We are seeing that near Karnataka area. In Hosur area, many elephants are coming there. Not only in Tamil Nadu but in Karnataka also, we are facing that problem. We are neighbouring States. They are moving from Karnataka forests to Tamil Nadu forests; from Tamil Nadu forests to Kerala forests. They are going around and also coming to all the fields. That is why I am requesting. How is the Government -- our State Government and Central Government -- going to protect the human beings also? What is the compensation we are going to give when people lose their lives? Also, as other Members were saying, we are also concerned. The terms like 'eco-tourism facilities' and 'any other like purposes' in the Bill can be exploited and misused for activities which can damage the forest and ecosystem. That is another serious matter. When you are amending certain things,

you are giving concessions. Many people may misuse it also for their own purpose under 'tourism'. That is the problem which may come. Therefore, you have to be very strict on that while giving such kinds of concessions to them. For example, you can take any forest. It may not be thick forest but we have to make roads. The Forest Department is not clearing the permission for roads. It is another problem. To go to the other side, you have to cross. Even for getting roads, it is very, very difficult to get the permission. Every State Government is laying the road after permission from Forest Department. They have to be somewhat flexible in giving the permission, which you may be giving through the amendment. Whatever you say, I am very much concerned about the language issue. You have brought in the name in Hindi. You bring it up; I have no objection. But I don't know what its Tamil name is. You have to put it. You put Central Government programme nowadays like *Sarva Shiksha Abhiyaan*, etc. You put it in the regional language also so that States also understand that. You put that Hindi word in English. Some people cannot understand that. In the same way, even in the non-Hindi areas, we cannot understand what the programmes are. The Prime Minister is doing a lot of programmes for the people. We appreciate that. Narendra Modi*ji* is doing good programmes. People do not understand what the programme is or what the meaning of it is. In Tamil Nadu, *Sarva Shiksha Abhiyan* is called "*Anaivarukkum Kalvi*". That is what people call it. Even I was the Education Minister in 2001. At that time, a scheme came. I translated everything in Tamil only. Instead of *Sarva Shiksha Abhiyan*, it was "*Anaivarukkum Kalvi*"; education for all. That is the meaning. Then only people understand; otherwise, common people cannot understand the schemes and avail the facilities. This Government has noble ideas but how the common man can understand them. Therefore, that way, in the Bill also, you should mention like that. When it is going State-wise, give translation for the language equivalent to that. That would be useful. Therefore, with these few words, I request you once again, how to preserve the forests and also the humans on this side. Let the clearance be given for small roads and everything. These are the things for which I make a request. With this observation, I support the Bill. There are a lot of good things. Our Hon'ble Minister has come after a long time. Therefore, I appreciate Yadav*ji*'s efforts. The AIADMK Party supports this Bill. Thank you.

श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया। सर, मानव जीवन में वृक्षों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमने कोरोना के दौरान देखा है कि प्राण वायु का, ऑक्सीजन का

बहुत महत्व होता है और वह वृक्ष ही हमें देते हैं। वृक्षों के बिना इस पृथ्वी पर मानव जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए वृक्ष को बचाते हुए विकास को आगे ले जाने के लिए हमारे मंत्री जी जो विधेयक लाए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक के माध्यम से सरकार द्वारा देश में वन संबंधित महत्वपूर्ण विषय पर अनेकों प्रावधान किए जा रहे हैं। इस विधेयक में सरकार द्वारा पर्यावरण एवं राष्ट्र सुरक्षा से संबंधित विषयों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। सरकार द्वारा देश के वन क्षेत्रों में वृद्धि हेतु इस विधेयक के माध्यम से अनेकों प्रावधान किए जा रहे हैं। इस विधेयक के माध्यम से सरकारी रिकॉर्ड में अधिसूचित वन भूमि के साथ ही राजस्व भूमि और वन संबंधी अन्य भूमियों को वन कानून के अंतर्गत वन श्रेणी में शामिल किया जाएगा। वन श्रेणी में शामिल करने के पश्चात् इन भूमियों पर वृक्षारोपण तथा वनीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। विधेयक में वन क्षेत्रों से बाहर के क्षेत्र जैसे कि रेल लाइन, सड़क लाइन के किनारे वृक्षारोपण को भी प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया जा रहा है। महोदय, इसके अतिरिक्त देश में ऐसी अनेकों राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न वन एवं पर्यावरण संबंधित अनुमतियों के कारण अनेकों ऐसी परियोजनाओं को शुरू नहीं किया जा सका है, लेकिन वे अब शुरू होंगी। मैं गुजरात राज्य से सदन का सदस्य हूं। हमारे राज्य का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में अनेकों परियोजनाएं हैं, जो कि विभिन्न पर्यावरणीय अनुमतियों के कारण शुरू नहीं हो पाई हैं, जो इस बिल के प्रावधानों से शुरू होंगी। महोदय, राष्ट्र सुरक्षा में परियोजनाओं का शुरू होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से देश के अन्य सीमावर्ती राज्यों में भी ऐसी अनेकों परियोजनाएं हैं, जो राष्ट्र सुरक्षा एवं देश के वीर सैनिकों के आवागमन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री, श्री मोदी जी और वन मंत्री, श्री यादव जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विचार करते हुए इस विधेयक के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के 100 किलोमीटर के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित रणनीतिक परियोजनाओं को छूट प्रदान करने का प्रावधान किया है। इस विधेयक से माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वन मंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार की नीयत और नीति स्पष्ट है कि जहां एक ओर वनीकरण भी बढ़ाया जाए और दूसरी ओर सरकारी परियोजनाओं को सीमावर्ती इलाकों में भी लागू किया जाए।

महोदय, मैं इसके लिए पुनः एक बार माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वन मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इस बहुत महत्वपूर्ण बिल से हमारे विकास को भी वेग मिलेगा, गति मिलेगी, वृक्ष भी ज्यादा उगाए जाएंगे। इसीलिए मैं इस बिल का समर्थन करते हुए, अपनी वाणी को विराम देता हूं।

SHRI G.K. VASAN (TAMIL NADU): Sir, I stand here to support an important Bill on behalf of my party. The Bill is on national interest. The amendments in this Bill will, definitely, help the country's progress. I would like to ask two-three important clarifications from our respected Hon'ble Minister. Number one is, how is the change in the name of the Bill going to enhance the conservation of forests in the country?

Number two is, I would like to ask the Minister whether the zoos and safari and also the eco-tourism will be considered as forestry activities under the proposed Bill, which is given in the Act. I would like to ask the Minister how and why this proposal is needed, and, in what way, it would impact the lives of the people dependent on forests. The third point is, the exemptions being proposed in the Bill, especially, for LWE and strategic projects, they do have their own specific importance for the security of the nation. Well, we definitely, know about the security in those areas. But, however, we expect that the conditions of compensatory afforestation under CAMPA funds will not be compromised and the Central Government will issue guidelines as per the proposed Bill.

Finally, Sir, I would like to make one request to the Hon'ble Minister, through his Ministry. I belong to the State of Tamil Nadu. There are many districts and villages which are near the forest area. Especially, in districts like Coimbatore and Nilgiris and also in some of the other districts and villages which are near the forests, many times, nowadays, we see in papers and televisions that elephants, tigers and *cheetas* are destroying the cultivated lands, destroying and damaging the houses and injuring the people. The people in those areas live in fear. I will only request the Hon'ble Minister that there should be a formula to give compensation to the common poor people who live there. They should live in peace. They should do their activities fearlessly. It is because they are supposed to live only in that area. It is our duty in democracy to give them custody. The Forest Department should be the guardian for them and I wish that these poor people, who stay near the forests are helped from our Forest Department. With these words, I support this Bill and thank the Minister for bringing this Bill at appropriate time.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : धन्यवाद, माननीय वासन जी। माननीय श्री अजय प्रताप सिंह।

श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश) **:** उपसभाध्यक्ष महोदय, आज सदन में वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 प्रस्तुत हुआ है, मैं इसका समर्थन करता हूं। बिल प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री जी ने बिल के अहम बिंदुओं से सदन को अवगत कराया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत आज दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश है। भारत से न केवल भारतवासियों को आशा है, अपितु दुनिया के लोगों की आशा का केंद्र हमारा देश बना हुआ है। इसलिए रणनीतिक रूप से हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा देश मजबूत रहे, हमारा देश न केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सके, अपितु जो हमारे पड़ोसी देश हैं, केवल पड़ोसी देश ही नहीं, दुनिया में अनेक ऐसे छोटे-छोटे देश हैं, जो अपनी सुरक्षा के लिए भारत की ओर एक आशा भरी निगाहों से देखते हैं- इस विधेयक के माध्यम

से भारत की सुरक्षा को अहमियत प्रदान की गई है। इस विधेयक में माननीय मंत्री जी ने प्रावधान प्रस्तुत किया है कि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो रणनीति के लिहाज़ से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन सीमावर्ती क्षेत्रों में 100 किलोमीटर की दूरी तक हम युद्ध की दृष्टि से, रणनीति से कोई काम करना चाहते हैं, तो उसमें वन संरक्षण का जो 1980 का कानून है, वह बाधा न बन पाये, इसलिए यह संशोधन विधेयक आया है। पहले जो युद्ध की रणनीति हुआ करती थी, उसमें जो सीमावर्ती क्षेत्र हुआ करता था, वह सामान्यतः अविकसित छोड़ दिया जाता था। अगर युद्ध के समय हमें पीछे हटना पड़े, दुश्मन तेजी से चलकर आगे आये तो उसकी आने की रफ्तार धीमी पड़ जाये। लेकिन अब दुनिया में वार की स्ट्रेटजी बदल गई है। वार की स्ट्रेटजी बदलने के कारण और दुनिया में भारत की स्थिति बदलने के कारण, अब यह आवश्यक नहीं है कि हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को अविकसित रखें। अब इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करें, सीमावर्ती क्षेत्रों में जो हमारे सम्पर्क के साधन हैं, जो संचार के साधन हैं, वे मजबूत हों और आवश्यकता पड़े तो हमारी जो सेनाएं हैं, वे द्रुत गति से सीमा तक पहुंच जाएं और सीमा पर पहुंच कर अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। आपने चीन के संदर्भ में देखा ही होगा कि जब चीन ने डोकलाम में हिमाकत की, लेह लद्दाख में हिमाकत की, तो हमारी सेनाएं अगर face-off की स्थिति में बड़ी तेजी से वहां पहुंच कर retaliate कर सकीं, उनको मुंहतोड़ जवाब दे सकीं, तो उसके पीछे यही कारण है कि मोदी सरकार के कालखंड में बड़ी तेजी से सीमावर्ती क्षेत्रों में जो infrastructure जरूरी है, उस infrastructure का विकास हुआ और यही प्रावधान इस बिल में किया गया है।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी तरफ माननीय मंत्री महोदय ने ध्यान आकर्षित किया है। जो वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, उस वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में जो विकास आवश्यक है, जो वहां के कल्याण के लिए बुनियादी बातें आवश्यक हैं, उसमें यह 1980 का विधेयक बाधा न बन पाये, इसलिए उसमें इस विधेयक के माध्यम से संशोधन किया गया है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि जनजातीय क्षेत्रों में अगर वामपंथी उग्रवाद ने प्रवेश किया है, तो उसका मूल कारण उनका पिछड़ापन है। देश की जो सामान्य गति है, उस सामान्य गति के साथ उनका तालमेल नहीं हो पाया है। वे अभी भी आदिम युग में जी रहे हैं। हमारे साथी यहां पर उपस्थित हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा जनजातीय वर्ग को ...(**समय की घंटी**)... सर, क्या मेरा बोलने का समय समाप्त हो गया है?

श्री उपसभापति : आपका चार मिनट का समय समाप्त हो गया है।

श्री अजय प्रताप सिंह : जी, सर। उनके विकास की चिंता नहीं की है। क्या जनजातीय वर्ग का कोई हक नहीं है कि वे आगे आयें, शिक्षा प्राप्त करें! उनके यहाँ भी आजीविका के साधन विकसित हों, उनके यहाँ भी आर्थिक संसाधन विकसित हों - इसके लिए रोड की आवश्यकता है, इसके

लिए बिजली की आवश्यकता है, इसके लिए पानी की आवश्यकता है, इसके लिए स्वास्थ्य भवन की आवश्यकता है, इसके लिए स्कूल की आवश्यकता है और इन सभी विकास के लिए, बहुत कुछ करने की जो आवश्यकता है, उन सारी बातों के लिए इस विधेयक में प्रावधान किया गया है। क्योंकि मेरा समय कम है, इसलिए मैंने दो बिंदुओं पर अपनी बात रखने का प्रयास किया है। ..(**समय की घंटी**).. उपसभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, आपका बहुत- बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति : धन्यवाद माननीय अजय प्रताप सिंह जी। माननीया श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा जी, कृपया आप बोलिए।

श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा (गुजरात): धन्यवाद उपसभापति जी, आज इस सदन में माननीय मंत्री भाई भूपेन्द्र यादव जी जो 'वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023' लेकर आए हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण बिल है और मैं इसका समर्थन करती हूं।

उपसभापति जी, इस बिल के बारे में, इसकी गहराई के बारे में, इसकी सच्चाई के बारे में सदन में कई सदस्यों ने अपनी बात मज़बूती से रखी है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि अमृत काल में आने वाला यह बिल जिस अमृत समान दूरगामी परिवर्तन को लेकर आ रहा है - वह साफ़ बात है।

माननीय उपसभापति जी, सारे हिंदुस्तान में 12 करोड़ से अधिक हमारे आदिवासी भाई-बहन बरसों से दूरदराज जंगल, पहाड़ों में कठिनाइयों से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज भी उनमें से कई लोगों को हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी की अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ जोड़ा नहीं गया है। आज उन्हें इस बिल के प्रावधान के ज़रिये माननीय मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ जोड़कर मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाएगा। पर्यावरण की रक्षा करते हुए पहाड़ी लोगों को शाला, महाशाला, कॉलेज, नल से जल, स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली और अनेक सुविधाएं प्राप्त होंगी।

माननीय उपसभापति जी, मैं यह कहना चाहती हूं कि मैं जिस एरिया से आती हूं, आज भी वहाँ फोरेस्ट लैंड के कारण वर्षों से कई रास्ते ऐसे ही लटके हुए पड़े हैं। आज इस विधेयक के माध्यम से वे क्लियर होंगे और सारे ट्राइबल लोगों को रास्ते की सुविधा भी अवश्य प्राप्त होगी।

माननीय उपसभापति जी, आज ट्राइबल लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। इस बिल के प्रावधान के माध्यम से हमारे ट्राइबल भाई-बहनों को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा, उनका परिवार स्थिर होगा और वन-धन केंद्रों के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाया जाएगा। सामाजिक वनीकरण में बढ़ावा होगा, एग्रो फोरेस्ट्री में बढ़ावा होगा। इस बिल में प्राइवेट नर्सरी के प्रावधान की वजह से हमारे ट्राइबल भाई-बहनों की आमदनी बढ़ेगी।

माननीय उपसभापति जी, इस बिल के माध्यम से बायोडायवर्सिटी को भी बढ़ावा दिया गया है, इसलिए जो स्थानीय लोग हैं, जो जड़ी-बूटियों का काम करते हैं, उनको भी बढ़ावा मिलेगा और उनकी आमदनी में भी इज़ाफ़ा होगा। हमारे पर्यावरण की सुरक्षा को भी इस बिल के माध्यम से मज़बूत किया जाएगा। हमारे देश के कार्बन सिंक को 2.5 बिलियन टन से 3 बिलियन

टन तक बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा है, वह भी इस बिल के प्रावधान से सिद्ध होगा। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियाँ कम होंगी।

माननीय उपसभापति जी, लुप्त हो रही वनस्पतियों और वन्य जीवों को अलग ढंग से रेस्क्यू करके अलग सैक्टर में चिह्नित किया जाएगा - ऐसा एक प्रावधान भी इस बिल में रखा गया है।

माननीय उपसभापति जी, इस बिल में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सीमा को बुनियादी सुविधाओं और पर्याप्त कनेक्टिविटी प्रदान करने का भी जो प्रावधान किया गया है - वह बहुत प्रशंसनीय बात है। साथ ही साथ, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिला एवं क्षेत्र, जो जंगलों से समृद्ध हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी बुनियादी ढाँचे का निर्माण होगा और वहाँ रहने वाले हमारे आदिवासी भाई-बहन तथा स्थानीय समुदाय को विकास की मुख्यधारा से जोड़ कर उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पहुँचा कर उनके जीवन में बदलाव और सुधार लाया जाएगा, यह स्पष्ट बात है।

माननीय उपसभापति जी, मेरा लास्ट प्वाइंट यह है कि मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे ईको-टूरिज़्म को बढ़ावा देकर ट्राइबल भाई-बहन और युवक-युवतियों को रोजगार दे सकते हैं। मैं गुजरात के साबरकांठा जिला से आती हूँ, जहाँ पोलो फॉरेस्ट है। हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री, माननीय मोदी जी ने ईको-टूरिज़्म को बढ़ावा देकर वहाँ स्थानीय तौर पर आदिवासी युवक-युवतियों को गाइड करके उनके लिए रोजगार का साधन बनाया। ...(**समय की घंटी**)... वह मिनी कश्मीर बना है। इसी तरह से समग्र हिन्दुस्तान में जहाँ-जहाँ ऐसे प्वाइंट्स हैं, वहाँ इसको बढ़ावा देने से आदिवासी युवक-युवतियों को रोजगार मिलेगा।
अंत में, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए इतना ही कहूँगी कि 'प्रकृतिः रक्षति रक्षिता ।'

श्री उपसभापति : धन्यवाद, माननीया रमिलाबेन जी। अब माननीय मंत्री, भूपेन्द्र यादव जी का जवाब।

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय उपसभापति महोदय, सबसे अंतिम वक्ता, रमिलाबेन जी ने अपनी स्पीच की समाप्ति करते हुए कहा कि 'प्रकृतिः रक्षति रक्षिता', अर्थात् "those who protect the nature, nature protects them". जब इस बिल के ऊपर चर्चा की शुरुआत हुई, तब हमारे पहले वक्ता, प्रशांत नन्दा जी ने फॉरेस्ट को ईश्वर की तरह कहा। माननीय उपसभापति महोदय, इस देश का जो विज़्डम है, वह उपनिषद् में आता है। ईशोपनिषद् में कहा भी गया है कि

"ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।।"

अर्थात् इस संसार में बनी हुई सभी चीजें उसके प्रकाश की हैं, वे भिन्न नहीं हैं, वे एक हैं, लेकिन हम उनका उपभोग किस तरीके से करते हैं, उनका ओनर बन कर नहीं, बल्कि उनके साथ रहने के कंसेप्ट को लेकर हम उपभोग करते हैं, तब हम आगे चलते हैं। दुनिया भर में पर्यावरण की जितनी भी वार्ताएँ चलती हैं, उनमें हम पर्यावरण का ट्रिपल क्राइसिस देखते हैं। पहला, दुनिया का

तापमान बढ़ रहा है; दूसरा, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है और तीसरा, बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है। इन तीनों के पीछे जो सबसे बड़ी सोच है, वह वैस्ट का एंथ्रोपोसेंटरिक मॉडल है, जिसमें उनको लगता है कि दुनिया केवल और केवल मनुष्य के लिए है। बाद में वैस्ट में मूवमेंट चला, जिसको बायोसेंटरिक डेवलपमेंट कहा गया कि हमें केवल मनुष्यों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि बायोसेंटरिक डेवलपमेंट करना चाहिए। बाद में 1960 में नार्वे के अर्ने नेस वगैरह ने एक नई फिलॉसफी दी, जिसको उन्होंने डीप इकोलॉजिकल कंसेप्ट कहा। वैस्ट ने जिसको 1960 में डीप इकोलॉजिकल कंसेप्ट कहा, वह कंसेप्ट भारत में सदियों से चल रहा था, जो हमारे उपनिषद् के विज़्डम में है और हमारे मंत्रालय का मोटो है - 'प्रकृतिः रक्षति रक्षिता'। यही कारण है कि दुनिया भर में जब पर्यावरण की वार्ता चली और ग्लास्गो में भारत ने 'पंचामृत' की घोषणा की, तब माननीय प्रधान मंत्री जी ने पूरी दुनिया को एक मिशन दिया - 'सस्टेनेबल कंज़्प्शन', यानी non-mindless utilization of resources. उन्होंने माइंडफुल कंज़्प्शन की जो बात कही, वही 'मिशन लाइफ' है - environment-friendly lifestyle. माननीय उपसभापति जी, जब हम एनवायरन्मेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो दो तरह की विचारधाराएँ आती हैं। एक है कैटेस्ट्रॉफिक और दूसरा है टेक्नो-ऑप्टिमिस्ट। हमें इन दोनों के बीच में से रास्ता निकालना होगा। हमारे वन क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे ट्राइबल भाई हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उन तक जीवन की बुनियादी सुविधाओं को जो नहीं पहुँचाया गया है, जो हमारा नैतिक दायित्व है, हमें उन्हें पहुँचाने की संकल्पना करनी है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमारा जो फॉरेस्ट है, उन पर जो दबाव बढ़ रहा है, उस दबाव के बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कई विषयों में एक नया कंसेप्शन खड़ा कर दिया। माननीय उपसभापति जी, मैं यह कहना चाहूंगा that prior to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court, dated the 12th December, 1996 in the matter of T.N. Godavarman, the provisions of the said Act were applied to notified forest lands and not to revenue forest areas, and non-forestry use in the revenue forest areas was allowed through permissions granted by the Government and various authorities. Subsequent to the said Judgment, the provisions of the Act were applied in the recorded forest areas including such recorded forests which had already been put to various type of non-forestry use, thereby restraining the authorities from undertaking any change in the land use and allowing any applicability of the Act in the plantations raised in private and Government non-forest lands. This situation resulted in misinterpretation of the provisions of the Act with respect to their applicability especially in recorded forest lands, private forest lands, plantations, etc. Therefore, it is considered necessary to prescribe the extent of applicability and non-applicability of the Act in various types of lands. इसलिए नन्दा जी, हमने केवल forest clearance के लिए नहीं कहा था कि किसको protect किया जाएगा और किसको forestry activity माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि हम private forest में प्लांटेशन को एनकरेज करना चाहते हैं। मान लीजिए, आपके घर पर कोई पेड़ लगा हुआ है और आपको पता लगे कि जंगल वाले उसको काटने ही नहीं

देंगे, तब तो आप पेड़ क्यों लगाएंगे? जब आपको लगेगा कि यह पेड़ आपकी अपनी ओनरशिप है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, तभी आप पेड़ लगाएंगे, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने को प्रोत्साहन देना चाहिए। इस देश में सब लोगों को अपने-अपने क्षेत्र में पेड़ लगाने का, बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन forest land पर जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, वे गवर्नमेंट की ओनरशिप में ही आएंगे।

The Forest (Conservation) Act में, देश के किसी भी प्रकार के नेशनल पार्क या किसी भी प्रकार के फॉरेस्ट रिज़र्व को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में टाइगर कंज़र्वेशन का जो प्रोग्राम हुआ था, हमें यह बताते हुए गर्व है कि अब हमारे देश में जो टाइगर रिज़र्व्स हैं, जो NTCA के अंतर्गत आते हैं, उनकी संख्या बढ़ कर अब 53 हो गई है। हमारे जो Elephant Reserves हैं, उनकी संख्या बढ़कर अब 33 हो गई है। देश का 75,000 स्क्वेयर किलो मीटर एरिया हमने केवल उनके लिए ही रिज़र्व किया हुआ है। इतना ही नहीं, हमारे फॉरेस्ट्स के जितने भी प्रकार हैं, चाहे हमारा फॉरेस्ट हिमालय के क्षेत्र में आता हो अथवा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देश के बीचों-बीच आता हो, जितने भी हमारे फॉरेस्ट्स हैं, उनके साथ-साथ हमने 3,600 किलो मीटर का डेज़र्ट फॉरेस्ट भी कंज़र्व किया है, क्योंकि हम हर प्रकार की बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को सेव और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं।

महोदय, कई बार यह कहा जाता है कि हम देश की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो हमारे देश का जो मेन फॉरेस्ट है, वह पूरा का पूरा तो लैंड लॉक एरिया में आता है, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो। इन क्षेत्रों में फॉरेस्ट पूरे तरीके से प्रोटेक्ट हो ही रहा है, लेकिन इंटीरियर सेक्टर में रहने वाले हमारे जो ट्राइबल है या लेफ्ट विंग एक्ट्रीमिस्ट्स हैं, उनको हम कितनी जगह दे रहे हैं? उनको हम केवल 5 हेक्टेयर जगह दे रहे हैं! ऐसे में उनके गांव में, जहां उनका हैबिटेट है, जहां सड़क जा रही है, जहां रेलवे लाइन जा रही है, क्या हम वहां पर 0.10 हेक्टेयर एरिया भी नहीं छोड़ेंगे, ताकि उनके बच्चे स्कूल चले जाएं या उनके घर तक पानी की पाइप चली जाए? क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि उस 5 हेक्टेयर जमीन में उस गांव की पानी की टंकी बन जाए अथवा डिस्पेंसरी बन जाए? हम तो उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना चाहते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी का संकल्प है - 'सबका साथ-सबका विकास', इसका अर्थ यही है कि इंटीरियर फॉरेस्ट्स में बसे हुए ट्राइबल हैबिटेट का भी उतना ही विकास हो, जितना दिल्ली का विकास हो, यही 'सबका साथ-सबका विकास' है।

5.00 P.M.

दूसरा विषय माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने उठाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में कहा, जिस पर मैंने कहा। एस. निरंजन रेड्डी ने अपने विषय में यह कहा कि हम कोई फ्लड गेट तो नहीं खोल रहे हैं? हम उनको बताना चाहते हैं कि हम किसी प्रकार का कोई फ्लड गेट ओपन नहीं कर रहे हैं। लेकिन समस्या कहाँ आती है? जब हमने फॉरेस्ट कंज़र्वेशन ऐक्ट बनाया तो उसे इतनी जल्दबाजी में बनाया कि उसमें हमने फॉरेस्ट की definition भी नहीं दी। इसलिए दिनांक 12.12.1996 की जो जजमेंट आई, उसमें उन्होंने कह दिया कि dictionary meaning of a forest

is a forest. उससे पहले, किसी रेवेन्यु एरिया में कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग बन गई थी। मान लीजिए, ओडिशा में लड़कियों का कोई स्कूल बन गया था। पहले वह रेवेन्यु रिकॉर्ड था और अगर इसकी dictionary meaning 'forest' है, तो वह forest है। क्या आज हम बच्चों के स्कूल में बाथरूम भी नहीं बना सकते? हम इस प्रकार की संकल्पनाओं में तो नहीं रह सकते! इसलिए यह clarity लानी जरूरी है कि किसको हम forest में मानेंगे, किसको हम non-forest में मानेंगे, किस activity को हम forestry activity नहीं मानेंगे। इसके clarification का काम होना जरूरी है, ताकि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं, उनका जो उद्देश्य है - फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करना, फॉरेस्ट का संवर्धन करना, फॉरेस्ट को आगे बढ़ाना, उसको करने की दृष्टि से हम लोग इस बिल में इन विषयों को लेकर आए हैं।

हमारे कामाख्या प्रसाद तासा जी ने विकास और संरक्षण के बारे में अपनी बातें रखीं। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आज देश में टाइगर की संख्या बढ़ी है। हम lion के कंज़र्वेशन को लेकर काम कर रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट्स, हमारे ऑफिसर्स सारी परिस्थितियों में बहुत धैर्य के साथ काम कर रहे हैं। एक International Translocation of Cheetah है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, धीरज के साथ काम कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि आपकी शुभकामनाएँ रहें ताकि वे अपनी मेहनत में सफल हो सकें, क्योंकि दुनिया में हम लोग ऐसा पहला प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ, हम लोग प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लेकर भी काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर में जो seven big cats कहलाती हैं, उनमें से पाँच भारत में मिलती हैं, जिनमें snow leopard, leopard, lion, tiger हैं और अब cheetah है। ये पाँच भारत में हैं और दो, jaguar and puma, Latin America के देशों में हैं। ये दुनिया के 97 देशों में पाई जाती हैं, लेकिन इनका हैबिटैट वहीं पर रहता है जो purest area होता है, जहाँ prey से लेकर उनका सारा habitat सुरक्षित होता है।

माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने International Big Cat Alliance बनाया है, जो दुनिया में biodiversity and forest की protection करने का अपने आप में एक यूनीक अलायंस है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आज 97 देशों में से 17 से ज्यादा देश इसके तुरंत सदस्य बन गए हैं, 12 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय संगठन इसके सदस्य बन गए हैं, दुनिया के और भी देश इसके सदस्य बन रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी का vision है कि हमारा जो सारा forest area है, उसका जो ecosystem है, उसका जो preservation है, उसको किस प्रकार से conserve किया जाए। उसके लिए आपस में नॉलेज शेयरिंग की जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, प्रोटेक्शन के मेज़र्स अपनाए जाएँ। इन सारे विषयों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए हम वन संरक्षण और संवर्धन अधिनियम लेकर आए। इस वन संरक्षण और संवर्धन अधिनियम का यही उद्देश्य है कि देश के वनों का केवल संरक्षण ही न हो, बल्कि उनका qualitative स्वरूप भी बढ़े, इसलिए हम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हर दो साल में सर्वे करते हैं। यह सर्वे dense forest, medium forest और normal forest की biodiversity का किया जाता है। हमारे तंबी दुरै जी इसके नाम के संबंध में कह रहे थे। वैसे तो इसका नाम वन संरक्षण अधिनियम है, लेकिन तंबी दुरै जी, you can say ‘*'vana padhukaapu sattam*. We

have no problem. हम तो चाहते हैं कि यह ज्यादा से ज्यादा भारतीय भाषाओं में आए, यह हमारी सभी भारतीय भाषाओं में आए।

DR. M. THAMBIDURAI: Let it be translated. That is my request.

श्री भूपेन्द्र यादव : यह सभी भारतीय भाषाओं में आए। हम तो यह चाहते हैं कि देश को कोलोनियल नामों से मुक्ति मिले। हम ज्यादा से ज्यादा इन शब्दों का उपयोग करें। हमारी तो यह classic language है और हम उसका बहुत सम्मान करते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं अभी नई पार्लियामेंट में *Sengol* की स्थापना की है। हमें यह पता है कि हम देश की उन परम्पराओं और मूल्यों को पूरे तरीके से स्थापित करते हैं और इसलिए मैं तंबी दुरै जी की भावना का पूरे तरीके से सम्मान करता हूँ। I fully give respect to encourage more and more all the classical languages like Tamil.

Apart from that, यहाँ से हमारे सिक्किम के एमपी, हिशे लाचुंगपा चले गए। उन्होंने कुछ विषय उठाए थे। उन्होंने कहा कि Section 2(1) of the Forest Act gives enormous power to the Union Government to designate an area as a reserve forest. मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में किसी भी फॉरेस्ट को दर्ज करने का जो कार्य है, वह अभी भी राज्य सरकारों का है। इसको मैं पूरे तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ कि वन भूमि को रिकॉर्ड करने का काम केवल और केवल राज्य सरकार का है, वह केन्द्र सरकार का किसी प्रकार का कोई विषय नहीं है। उसके अलावा, यह कहा गया कि किस प्रकार की भूमियों पर फॉरेस्ट कंज़र्वेशन ऐक्ट लगेगा, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, उनको हमने पूरे तरीके से सम्मान देते हुए समाहित करने का प्रयास किया है। सर, 'The Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023' और फोरेस्ट राइट एक्ट, दोनों अलग-अलग हैं, इसलिए फोरेस्ट राइट एक्ट में हमारे जनजातीय समाज और फोरेस्ट ड्वेलर्स के जो राइट्स हैं, उन्हें इसमें पूरी तरीके सुरक्षित रखा गया है। मैं सदन के सामने इसे पुनः दोहराना चाहता हूँ। इसमें किसी को कहीं भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए। उनके राइट्स पूरे तरीके से सुरक्षित हैं। इसके साथ-ही-साथ बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर में जो विकास होगा, उससे सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास होगा।

सर, विजयसाई रेड्डी जी ने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात की है, ज्वाइंट मैनेजमेंट कमिटी की बात की है। इसके साथ ही, वन संरक्षण समिति, जो जेसीएम का मॉडल है, यह देश के कई भागों में चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। जो timber Minor Forest Produce हैं, उनके लिए हमारे जनजाति समाज के लोग जाते हैं और उन्हें हमारा वन विभाग पूरा सहयोग देता है, फिर चाहे मध्य प्रदेश में तेंदू पत्ता हो या चाहे बी कलेक्शन का हो। राज्य सरकारें भी इसे लेकर काम कर रही हैं। हम उनकी केपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाना चाहते हैं। वे वन उपज के साथ-साथ प्राइवेट क्षेत्र में भी अपने जंगल को उगाने का काम कर सकें, उसका लाभ ले सकें, इसके लिए हम agro forestry को बढ़ाने को लेकर clarification चाहते हैं, ताकि लोकल लोगों को अपना गाँव, जंगल जमीन न छोड़नी पड़े। हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप ecological area में balance की बात कर सकते हैं। तंबी दुरै जी ने अपने विषय में यह भी कहा कि कई जगहों पर man-animal

conflict है। हमने इसे लेकर पिछली फरवरी में भी गाइडलाइन निकाली है। हमने गाइडलाइन निकालकर समय-समय पर निर्देश दिए हैं और हम चाहते हैं कि यह conflict कम-से-कम हो। इसमें infrastructure का भी विषय है। जो हमारा Pench elevated corridor है, वह दुनिया में अपने आप में उदाहरण है। भारत आज अपने infrastructure को इस प्रकार से बना रहा है कि फोरेस्ट को क्रॉस करते हुए wildlife को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। अभी कुछ दिनों पहले हमारे WII ने देश की रेलवे लाइन पर विशेष रूप से ओडिशा में 100 स्थान चिन्हित किए, ताकि वहाँ पर हम उनके movement को passage दे सकें। अभी कुछ दिनों पहले माननीय मंत्री, गडकरी जी ने घोषणा की थी कि हम राजस्थान के Sariska में एक elevated corridor इसी प्रकार से लेकर जा रहे हैं कि वह उनके habitat को डिस्टर्ब न करे। Future के infrastructure पर भारत इस प्रकार से काम कर रहा है कि हमारा forest भी disturb न हो और connectivity and connection भी बहुत तेजी से बढ़ें।

सर, जी. के. वासन साहब ने तीन इश्यूज़ रेज़ किए। फर्स्ट इश्यू में उन्होंने कहा, how does change in name of the Bill give importance to conservation? मैं कहना चाहूँगा कि हमने इस बिल के scope को बढ़ाने का काम किया है, and that is according to the vision of the Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi, where India wants to achieve its NDC through more and more plantation. The second issue raised by you is about zoo and safari and how will extension benefit the life of local people. I wanted to say that the intention in this Bill to declare zoo and ecotourism as non-forestry activity is to create an atmosphere, so that income of local people is generated and they participate more and more in ecotourism activities. They have traditional knowledge about wild animals, etc. And, if zoo and safari is near their village, definitely, it will be helpful to them. हमारे किरेन रिजिजु जी यहाँ बैठे हैं। हमारा Pakke का फोरेस्ट सबसे सुंदर है। अगर आप कभी मॉर्निंग में Pakke जाएंगे, तो पाएंगे कि वहाँ पर बहुत सारे बड्र्स हैं। यह अच्छे-अच्छे लोगों को नहीं पता है, लेकिन हमारे लोकल विलेजर्स हरेक बर्ड को जानते हैं। हमारा तो स्टेट बर्ड भी है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री किरेन रिजिजु) : एक बार सभी एमपीज़ को टूर पर लेकर चलते हैं।

श्री भूपेन्द्र यादव : जी, सबको लेकर जाना अच्छा रहेगा।

महोदय, यह जितनी भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, इससे ईकोटूरिज्म बढ़ सकता है। वासन साहब ने अपने तीसरे विषय में लेफ्ट विंग एक्ट्रीमिज्म एरिया के बारे में कहा है। मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमने इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार को जो पावर दी है, वह इसीलिए दी है, ताकि भारत सरकार समय-समय पर गाइडलाइंस इश्यू कर सके। जब गाइडलाइंस इश्यू करेंगे, तो उसमें compensatory afforestation भी शामिल होगा और इस बिल के अंतर्गत इसका समुचित समावेश किया गया है। जहाँ तक CAMPA के पैसे का विषय है, इसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके, इसके लिए हम इसे बनाने और बढ़ाने में लगे हुए हैं। माननीय उपसभापति

जी, इस चर्चा में अजय प्रताप सिंह जी, श्रीमती रमिलाबेन और दिनेशचंद्र अनावाडीया जी ने भी भाग लिया और उन्होंने इस बिल का समर्थन किया। इन सभी सदस्यों की मंशा है कि इस बिल के माध्यम से हमारे देश का जो फॉरेस्ट एरिया है, उसके कंज़र्वेशन और प्रिज़र्वेशन के साथ-साथ देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होगा, हम एक संतुलित विकास के साथ चलेंगे, जो माननीय प्रधान मंत्री जी के 'मिशन लाइफ', एनवॉयरन्मेंट-फ्रेंडली लाइफ स्टाइल के अनुरूप है और उसके साथ ही साथ यह देश के सभी क्षेत्रों में 'सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास' की भावना के अनुरूप है।

इतना कहते हुए मैं पुनः इस सदन से आग्रह करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जाए। ...(**व्यवधान**)... नन्दा जी, जहाँ तक इस विषय की बात है, तो अभी जो लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, वह यह बताती है कि देश का फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है। मैं आपको राज्यों के हिसाब से फॉरेस्ट का वह एरिया भेज दूँगा।

श्री उपसभापति : धन्यवाद, माननीय मंत्री जी। The question is:

"That the Bill further to amend the Forest (Conservation) Act, 1980, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

In Clause 2, there are four Amendments; Amendments (Nos. 2 and 3) by Shri Tiruchi Siva; and Amendments (Nos. 15 and 16) by Shri Binoy Viswam. Both the Hon'ble Members are absent. Amendments not moved.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 3, there are three Amendments; Amendment (No. 4) by Shri Tiruchi Siva; Amendment (No. 7) by Dr. John Brittas; and Amendment (No. 17) by Shri Binoy Viswam. All three Hon'ble Members are absent. Amendments not moved.

Clause 3 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 4, there are nine Amendments; Amendment (No. 1) by Shri A.D. Singh; Amendment (No. 5) by Shri Tiruchi Siva; Amendments

(Nos. 9 to 11) by Dr. John Brittas; and Amendments (Nos. 18 to 21) by Shri Binoy Viswam. The Hon'ble Members are absent. Amendments not moved.

Clause 4 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 5, there are six Amendments; Amendment (No. 6) by Shri Tiruchi Siva; Amendments (Nos. 12 to 14) by Dr. John Brittas; and Amendments (Nos. 22 and 23) by Shri Binoy Viswam. All the three Hon'ble Members are absent. Amendments not moved.

Clause 5 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 6, there are two Amendments; Amendment (No. 8) by Dr. John Brittas; and Amendment (No. 24) by Shri Binoy Viswam. Both the Hon'ble Members are absent. Amendments not moved.

Clause 6 was added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Minister to move that the Bill be passed.

श्री भूपेन्द्र यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :
"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

The question was put and the motion was adopted.

The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon'ble Members, now, we move to the next important Bill, the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023. Hon'ble Minister, Som Parkash*ji* to move the motion for consideration of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PARKASH): Sir, I move: